प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः-30फ/ आ0से0/NRHM-NPCB-grant/14-15/2486 दिनांकः22/दिसम्बर/2014।

विषयः-जिला स्वास्थ्य समितियों को राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु वर्ष 2014-15 में मदवार धनराशि के व्यय हेतु दिशानिर्देशों के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति के अन्तर्गत संचालित अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु धनराशि को आपके बैक खाते में एन0एच0एम0 द्वारा ई-बैकिग से स्टेट बैक में जनपद की जिला समिति के राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम हेतु खोले गये खाते में पत्रांकः-एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/ एन0पी0सी0बी0/2014-15/4188 दिनांकः-20.12.2014 द्वारा स्थानान्तरित किया गया है। (प्रतिसंलग्न)

इस धनराशि का उपयोग निम्नबिन्दुओं का कड़ाई से पालन करते हुए सुनिश्चित किया जाये।

- उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2014-15 हेतु एन0एच0एम0 द्वारा उपरोक्त पत्र में जारी भुगतान के दिशानिर्देशों तथा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों, निर्धारित मानकों तथा कार्यक्रम में धनराशि के भुगतान सम्बन्धी मानको तथा जिला अन्धता नियंत्रण सम्बन्धी प्राविधानों/प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से पालन करते हुए उ0प्र0शासन द्वारा निर्गत परिपत्रो को सज्ञान में लेते हुये नियमानुसार संलग्न दिशानिर्देशों के अन्तर्गत किया जाय।
- धनराशि का उपयोग करते समय संस्था / स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत दावों का भौतिक सत्यापन कराते हुए वास्तविक रूप से उपलब्ध कराई गई सुविधा पर व्यय के आधार पर एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग के उपरान्त ही किया जाय।
- जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में कितनी धनराशि शेष रह गई हैं, की सूचना प्रोफार्मा-सी के साथ नियमित प्रत्येक माह राज्य अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम अधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जाये।
- हर सम्भव प्रयास किये जाये की कार्यक्रम के अर्न्तगत किसी प्रकार की देनदारिया धनराशि रहते हुए लम्बित न रह जाये तथा इस वित्तीय वर्ष में कराये गये कार्यो का नियमानुसार भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत कराया दिया जाये।

भवदीय,

संलग्नकः-वित्तीय वर्ष 2014-15 के दिशानिर्देश।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी(NPCB)
संयुक्त निदेशक, नेत्र उपचार

पत्रांकः-30फ/ आ0से0/NRHM-NPCB-grant/14-15/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 कार्यालय, विशाल कम्पलेक्स, विधान सभामार्ग, लखनऊ को उनके पृष्ठांकन एस0पी0एम0यू0/ एन0एच0एम0/ एन0पी0सी0बी0/ 2014-15/4188 दिनांकः-20.12.2014 में दिये गये निर्देशों के क्रम में।
2- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य,उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-7,विकास भवन, लखनऊ।
3- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ0प्र0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4- सम्बन्धित, जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति, सम्बन्धित जनपद।
5- वित्त नियंत्रक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 कार्यालय, विशाल कम्पलेक्स, विधान सभामार्ग, लखनऊ।
6- उपमहाप्रबन्धक, एन0एच0एम0, एस0पी0एम0यू0 कार्यालय, विशाल कम्पलेक्स, विधान सभामार्ग, लखनऊ।

राज्य कार्यक्रम अधिकारी,NPCB/
संयुक्त निदेशक, नेत्र उपचार

राष्ट्रीय अन्धता नियंत्रण कार्यक्रम के वर्ष 2014–15 में कार्यक्रम के सुचारू कियान्वयन के लिए दिशानिर्देश

एफ0एम0आर0 कोड(एच)

कार्यक्रम का संक्षिप्त इतिहास

प्रदेश में यह कार्यक्रम भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से वर्ष 1977 से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार चलाया जा रहा है। वर्तमान में वर्ष 2005 से कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समायोजित कर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रदेश की अंधता दर 1.58 प्रतिशत को घटाकर 0.3 प्रतिशत लाना था। 62 प्रतिशत अंधता मोतियाबिन्द के कारण होती है तथा 20 प्रतिशत बच्चों में अंधता दृष्टिदोष के कारण होती है। मोतियाबिन्द जनित अंधता को शल्यक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है तथा दृष्टिदोष को सही समय पर चश्में द्वारा दूर किया जा सकता है। वर्ष 2001–2004 में भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की अंधता की व्यापकता दर 1 प्रतिशत है। अतः इस समय कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2020 तक वर्तमान अंधता दर को घटाकर 0.3 प्रतिशत तक लाना है।

कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियों/जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का संक्षिप्त विवरणं :–

1. मोतियाबिन्द आपरेशन की आई0 ओ0 एल0/एस0आई0सी0एस/फेको विधि द्वारा शल्यक्रिया करना।
2. 8 से 14 वर्ष तक की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों के नेत्रों की जांच एवं निःशुल्य चश्मा वितरण करना तथा साथ ही साथ बाल स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम कें अन्तर्गत आने वाले सभी दृष्टिदोष से ग्रसित बच्चों को संदर्भन के उपरान्त जांच कर उपयुक्त न0 का चश्मा उपलब्ध कराना।
3. सरकारी चिकित्सालयों में आने वाले वृद्ध जन जो दृष्टिदोष से ग्रसित हो जाते हैं के दृष्टिदोष का नेत्र परीक्षण कर नजदीक पढ़ने वाले चश्में कों रू0 100/प्रतिचश्में की दर से निःशुल्क प्रदान किया जाना।
4. नेत्र बैंक की स्थापना एवं कार्निया प्रत्यारोपण को प्रोत्साहन एवं जनता में नेत्रदान की जागरूकता पैदा कर जनता द्वारा दान में प्राप्त कार्नियां को कार्निया के कारण अन्धें लोागों में निःशुल्क प्रत्यारोपित कर उन्हे पुनः देखने योग्य बनाना।
5. मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगो (डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा मैनेजमेन्ट, लेज़र टेक्नीक, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जिरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा बड़ी स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों के माध्यम से उपलब्ध कराना तथा आने वाले व्यय हो सरकार द्वारा वहन किया जाना।
6. प्रदेश के ग्रामीण अंचलों कें सामु0/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/एन0जी0ओ0 क्षेत्र मे विजन सेन्टर्स की स्थापना करना जिससें ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के नेत्रदोषों का परीक्षण हो सकें तथा वे सही नम्बर का चश्मा प्राप्त कर सकें।

लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति

1. विभिन्न स्तरों पर नेत्र उपचार की सुविधाओं का विकास।
2. नेत्र स्कीनिंग शिविरों के आयोजन कर सुदूर ग्रामीण अंचलों में मोतियाबिन्द आपरेशन की सुविधायें प्रदान करना।
3. 8 से 14 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों तथा बाल स्वास्थ्य गारंटी कार्यक्रम से आच्छादित सभी बच्चों के नेत्र रोगों की जांच एवं निःशुल्क चश्मा वितरण एवं उपचार करना।
4. नेत्र चिकित्सा कार्य में लगे चिकित्सकों एवं पैरा चिकित्सा कर्मियों को नई तकनीक में प्रशिक्षण कराना।
5. गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठनों को सहायकता एवं प्रोत्साहन।
6. जन प्रचार माध्यमों के द्वारा जन साधारण में नेत्र स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार एवं प्रसार ।
7. जिला चिकित्सालय के नेत्र विभाग का विकास।

11/12/14

संयुक्त निदेशक (नेत्र उपचार)

कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदों मे निम्न मुख्य गतिविधियां सम्पादित की जानी है :

एच 1.1 मोतियाबिन्द ऑपरेशन एन0जी0ओ0 क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा रू 1000/आपरेशन की दर से।

एच 1.1ए मोतियाबिन्द ऑपरेशन राजकीय क्षेत्र के चिकित्सालयों द्वारा रू 450/आपरेशन की दर से।

एच 1.2 मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगो के आपरेशन एवं इलाज की सुविधा, विभिन्न रोगों हेतु निर्धारित दर से।

एच 1.3 स्कूलों मे छात्रों के नेत्र परीक्षण व निःशुल्क चश्मों का वितरण रू0 275.00/केस की दर से।

एच 1.4 राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग(रिफैक्टिव एरर के कारण दृष्टिबाधित) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरणरू0 100/चश्में की दर से।

एच 1.5 नेत्र बैंको द्वारा कार्निया दान में प्राप्त कर प्रत्यारोपण रू0 2000 प्रति जोड़ी की दर से करना।

एच 1.9 उपलब्ध नेत्रशल्यक्रिया के उपकरणों का वार्षिक रखरखाव काअनुबन्ध करना।

एच 2.3 इस वर्ष प्रदेश के जनपदों 75 जनपदों में प्रति जनपद एक नये विजन सेन्टर की स्थापना।

एच 2.5 जनपद आगरा में कार्निया कलेक्शन सेन्टर/आई डोनेशन सेन्टर रू0 1.00लाख प्रति की दर से स्थापना करना।

एच 3.1 प्रदेश के चुने हुए 28 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 1 नेत्रशल्यक की संविदा पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त टी0ओ0आर0 के अनुसार रू0 60.00 हजार प्रति माह की दर पर नियुक्ति करना।

एच 3.2 प्रदेश के चुने हुए 28 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में 1 आप्टोमेट्रिस्ट की संविदा पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त टी0ओ0आर0 के अनुसार रू0 12.00 हजार प्रति माह की दर पर नियुक्ति करना।

एच 3.3 प्रदेश के पंजीकृत राजकीय क्षेत्र के आई बैंको में एक आई डोनेशन काउन्सलर (ग्रीफ काउन्सलर) की संविदा पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त टी0ओ0आर0 के अनुसार रू0 15.00 हजार प्रति माह की दर पर नियुक्ति करना।

एच 3.4 प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक डाटा इन्ट्री आपरेटर की संविदा पर निर्धारित दर रू0 8.00 हजार प्रति माह की दर पर मिशन के मानकानुसार नियुक्तिकरना।

1 मोतियाबिन्द ऑपरेशन हेतु धनराशि एफ0एम0आर0 कोड (एच 1.1 एवं 1.1ए)

- मोतियाबिन्द आपरेशनों के जनपदवार लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु हर सम्भव प्रयास किये जाये।
- लक्ष्य के सापेक्ष 98 प्रतिशत ऑपरेशन आई0ओ0एल0/एस0आई0सी0एस0/फेको विधि से सम्पादित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- वर्ष 2013–14 से राजकीय क्षेत्र में किये गये मोतियाबिन्द आपरेशनों का भुगतान भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल हेतु संशोधित दर (रू0 450/प्रति आपरेशन) की दर से किया जायेगा।
- जनपदों में स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों का भुगतान भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना काल हेतु संशोधित दर (रू0 1000/प्रति आपरेशन) पर नियमानुसार भारत सरकार द्वारा प्रदत्त दिशानिर्देशानुसार सत्यापन कराकर किया जाना।
- निर्धारित लक्ष्य से अधिक एन0जी0ओ0 द्वारा किये जाने वाले आपरेशन की पूर्व अनुमति राज्य स्तर से लेकर ही भुगतान के लिए अग्रसारित किया जाये।

संयुक्त निदेशक (नेत्र उपचार)
चि0 एवं स्वा0 सेवाएँ उ0 प्र0
स्वा0 भवन लखनऊ।

- जनपद स्तर पर श्रेष्ठ एवं उच्च तकनीकि से लैस सर्जिकल स्वयंसेवी संस्थाओं को चिन्हित कर प्रतिवर्ष हस्ताक्षरित किये गये एम0ओ0यू0 के आधार पर ही जनपद को प्राप्त एन0जी0ओ0 मद में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक ही आपरेशनों हेतु प्रोत्साहित किया जाये।
- सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये जाने वाले आपरेशनों में से उन्हे सहयोग करने वाली नान सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं, आशा कार्यकर्ती, पंचायत कर्मी, आई0सी0डी0एस कर्मियों को मोतियाबिन्द ग्रसित रोगियों की पहचान कर आपरेशन हेतु आपरेशन स्थल तक लाने, आपरेशन कराकर धर वापस ले जाने तथा पूर्ण फालोअप कराने हेतु अधिकतम रू0 250.00 प्रति आपरेशन की दर से धनराशि प्रदान किया जाना अनुमन्य है जो सर्जिकल स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली प्रतिआपरेशन रू0 1000.00 की धनराशि में से उन्ही के द्वारा प्रदान की जा सकती है।
- स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये आपरेशनों के भुगतान तभी किये जा सकेगें जबकि वे किये गये आपरेशन एवं उपलब्ध कराई गई सभी निःशुल्क सुविधाओं का पूर्ण विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध करायेंगे। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा किये गये केसों के भुगतान के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वे आपरेशन के अधिकतम 60 दिनों के भीतर एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग कर भुगतान की सभी औपचारिकताएं पूर्णकर अपना दावा/बिल भुगतान हेतु जहां तक सम्भव हो 120 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराये, जिससे समय से भुगतान सम्भव हो सके।
- स्वैच्छिक संस्थाओं को दिनांक 01.04.2012 के उपरान्त किये गये आपरेशन के भुगतान तभी किये जायेगें जबकि वे भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये एम0आई0एस0 सिस्टम में उक्त आपरेशनों का डाटा कम्प्यूटर द्वारा भारत सरकार की वेबसाईट पर लोड करेगें। जिसका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जा चुका है। किसी भी दशा में एम0आईएस0 सिस्टम पर आपरेशनों का डाटा फीड किये बिना एन0जी0ओं0 का भुगतान नही किया जायेगा यदि ऐसे किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्गित जिम्मेदारी होगी।
- ग्राम्य स्तर पर आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा आशा, पंचायत सदस्य, ए0एन0एम0, अथवा पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सहायता से अन्धता से ग्रस्त लोगों का विवरण अंधता रजिस्टर में अंकित कराये तथा आरम्भिक परीक्षण कर स्क्रीनिंग कैम्प, बेस कैम्प अथवा चिकित्सालय मे जांच व उपचार हेतु रेफर करें। नेत्रशल्यक द्वारा ऑपरेशन हेतु उपयुक्त केसों का चयन कर शल्यक्रिया की जाये तथा आपरेशन के उपरान्त मिलने वाली सभी सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाये तथा अंधता रजिस्टर में अंकित किया जाये। समय–समय पर अंधता रजिस्टर में आपरेशन के उपरान्त मरीजों का मूल्यांकन कर अपडेट किया जाये।
- मोतियाबिन्द ग्रसित अन्धता के मरीजों के सभी आपरेशनसरकारी/एन0जी0ओं0 के बेस चिकित्सालय केमानकानुसार विसंक्रमित ओ0टी0 में आई0ओ0एल0 विधि द्वारा किये जाये तथा ऑपरेशन के लिए अनुमन्य निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- जिला चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थापित आई0ओ0एल0 केन्द्रों, स्वैच्छिक संस्थाओं के चिकित्सालयों पर मोतियाबिन्द ऑपरेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- लक्ष्य के सापेक्ष अनुमानतः 25 प्रतिशत ऑपरेशन सरकारी इकाईयों द्वारा, 25 प्रतिशत कार्यक्रम द्वारा वित्तपोषित स्वयंसेवी संस्थाओ द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशतस्ववित्त पोषित संस्थाओं तथा निजी इकाईयों के शल्यकों द्वारा सम्पादित किया जायेगा। जनपद में उपलब्ध संसाधनानुसार उपरोक्त अनुपात कें परिवर्तन का प्रस्ताव कर सकते है तथा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से मिशन निदेशक से अनुमोदित कराते हुए कार्य सम्पन्न करें।

संयुक्त निदेशक (नेत्र उपचार)
चि0 एवं स्वा0 सेवा एँ उ0 प्र0
स्वा0 भवन लखनऊ।

2.मोतियाबिन्द के अतिरिक्त होने वाले नेत्र रोगो (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जिरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के आपरेशन एवं इलाज की सुविधाएफ0एम0आर0 कोड(एच–1.2)

- वर्ष 2009–10 से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मोतियाबिन्द आपरेशनों के अतिरिक्त नेत्रों में होने वाले अन्य रोगों जैसे (डायबेटिक रेटिनोपैथी में लेज़र ट्रीटमेन्ट, ग्लूकोमा आपरेशन, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जरी तथा ट्रीटमेन्ट आफ चाईल्डहूड ब्लान्डनेस) के इलाज हेतु लक्ष्य प्राप्त हो रहे है। वर्ष 2014–15 हेतु रोगानुसार लक्ष्य प्राप्त हुए है जिन्हें प्रदेश के मंडलीय/अधिक आबादी वाले/ऐसे जनपद जहां पर अन्य नेत्ररोगों का ईलाज सम्भव हो वितरित किया जा रहा है।
- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु अलग से एक रजिस्टर बनाये जायें जिसका प्रारूप भारत सरकार की नई गाइड लाईन में उपलब्ध है।
- उपरोक्त रोगों के इलाज हेतु योग्य स्वैच्छिक संस्थाओं/प्राईवेट चिकित्सालयों को एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित कराकर ही ग्लूकोमा आपरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी का लेजर द्वारा इलाज, कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन, विट्रियोरेटिनल सर्जिरी तथा चाईल्डहूड ब्लान्डनेस हेतु अलग–अलग दरें निर्धारित की गई हैं जो निम्न प्रकार है।

1.	डायबेटिक रेटिनोपैथी का लेजर द्वारा इलाज	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 1500 प्रति आपरेशन,
2.	चाईल्डहूड ब्लान्डनेस	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 1500 प्रति आपरेशन
3.	ग्लूकोमा आपरेशन	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 1500 प्रति आपरेशन
4.	कार्निया ट्रान्सप्लान्टेशन(किरौटो प्लास्टी)	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 5000 प्रति आपरेशन
5.	विट्रियोरेटिनल सर्जिरी	प्रति आपेरशन निर्धारित दर रू 5000 प्रति आपरेशन

उपरोक्त रोगो के इलाज चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्धारित अभिलेख एम0आई0एस0 साफटवेयर पर फीड हो जाने के उपरान्त प्रदान की जानी है। इस सम्बन्ध में किये गये आपरेशनों का बीमारीवार विवरण तथा उन पर व्यय धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह एन0जी0ओ0वार उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- मोतियाबिन्द हेतु स्क्रीनिंग कैम्प में सरकारी चिकित्सक एवं एन0जी0ओ0 चिकित्सको द्वारा अन्य नेत्ररोगो के मरीजों को चिन्हित किया जाना है तथा उनका इलाज हेतु निर्धारित दिन प्रति सप्ताह सुनिश्चित कर इलाज/आपरेशन हेतु चयनित एन0जी0ओ0/प्राईवेट चिकित्साकों से एम0ओ0यू0 कराकर डाटा फीडिंगकिये जाने के उपरान्त नियमानुसार भुगतान कराया जाये।

3.स्कूलों मे नेत्र परीक्षण व चश्मों का वितरण एफ0एम0आर0 कोड (एच–1.3)

- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के(ब्लाक एवं अतिरिक्त) के अन्तर्गत स्कूलों मे 8–14 वर्ष तक के स्कूल जाने वाले बच्चों की नजर की स्क्रीनिंग की जायेगी। जिन बच्चों की नजर कमजोर पायी जायेगी उन्हे जांच हेतु ब्लाक स्तरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर नेत्र परीक्षण हेतु रेफर किया जायेगा तथा जांचोपरान्त मुफ्त चश्मे की आपूर्ति की जायेगी।
- ब्लाक स्तर पर नियुक्त आप्टोमेट्रिस्टों द्वारा नजर की जांच कर चश्मे का नम्बर निर्धारित किया जायेगा ।
- भारत सरकार द्वारा बच्चों के निःशुल्क चश्मे वितरण हेतु प्रति केस रू0 275.00 की धनराशि प्राविधानित की गई है।

संयुक्त निदेशक (नेत्र उपचार)
चि0 एव स्व0 सेवाएँ उ0 प्र0
स्व0 भवन लखनऊ ।

- सभी स्कूलों की दो–दों अध्यापक/अध्यापिकाओं को नेत्र परीक्षण करने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाये। जिन बच्चों को कम रोशनी है उन्हे नजदीक के सरकारी विज़न सेन्टर(जहां पर नेत्रपरीक्षण का कार्य आप्टोमेट्रिस्ट द्वारा किया जाता है) में अध्यापक के माध्यम से या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में स्कूलों में जाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा भेजे गये बच्चें के निःशुल्क चश्मा वितरण कार्ड पर राजकीय नेत्र परीक्षण अधिकारी द्वारा किये गये नेत्रपरीक्षणोंउपरान्त दिये गये सही नम्बर का चश्मा जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा टेन्डर के माध्यम से चयनित दुकान के द्वारा काड लेकर निःशुल्क प्रदान किया जाये तथा कार्ड के एक भाग को पूर्व निर्धारित दर पर भुगतान हेतु जिला कार्यक्रम प्रबन्धक अंधता के पास उपलब्ध कराया जाये। जिला कार्यक्रम प्रबन्धक दुकान द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कार्ड बिल के साथ प्राप्त करने पर नियमानुसार भुगतान एक सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करेगे।
- बच्चों को प्रदान किये जाने वाले चश्मों/बुजुर्गों को प्रदान किये जाने वाले चश्मो के क्रय हेतु टेन्डर/दुकानो का चयन माह जून तक कर लिया तदोपरान्त राज्य स्तर से निर्धारित कार्यक्रमानुसार तिथिवार गतिविधियां संचालित कराकर दिसम्बर माह तक लक्ष्यों को शतप्रतिशत पूर्ण कर लिया जाये।
- स्कूली बच्चों को उपयुक्त नम्बर के चश्मों को आवश्यकतानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला स्वास्थ्य समिति में निर्णय लेकर दृष्टिदोष से ग्रसित सभी स्कूली बच्चों को निःशुल्क चश्मा प्रदान किया जा सकता है। दृष्टिमितिज्ञों को इस बात का निर्देश पहले से ही दे दें। इस कार्य के परिवेक्षण हेतु जिले को जनपद में उपलब्ध नेत्रशल्यको के माध्यम से इस प्रकार विभक्त कर दिया जाये और उन्हे निर्देशित किया जाये कि वे स्कूल स्क्रीनिंग के इस कार्यक्रम को गुणवत्ता पूर्वक निरीक्षण करें।
- जनपद का हर आप्टोमेट्रिस्ट अपने स्तर पर स्कूली बच्चों के नेत्रपरीक्षण तथा दिये गये चश्मो का एक रजिस्टर अलग से बनाये तथा अपडेट करते रहें जिसे निरीक्षण के समय प्रस्तुत किया जायें।

4. राजकीय चिकित्सालयों में बुजुर्ग(निकट दृष्टि दोष) लोगों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त निःशुल्क चश्मा वितरण।एफ0एम0आर0 कोड (एच 1.4)

वर्ष 2013–14 से नई गतिविधि के रूप में भारत द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में नेत्र ज्योति की जांच कराने आने वाले निकट दृष्टिदोष से ग्रसित बुजुर्ग मरीजों को नेत्र परीक्षण के उपरान्त सही नम्बर का निःशुल्क चश्मा वितरण किये जाने हेतु भी 1 लाख चश्में रू 100 प्रति चश्में की दर से बांटने का लक्ष्य प्रदान किया हैं। अतः उक्त लक्ष्य एवं धनराशि का वितरण जनपदों को किया जा रहा है उक्त हेतु राजकीय चिकित्सालयों में मरीजों की नज़र की जांच कर नेत्रपरीक्षण अधिकारी तथा नेत्रशल्यक/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के अनुमोदन के उपरान्त जरूरत मंद बुजुर्ग मरीजों को निःशुल्क चश्में प्रदान किये जायें। इस गतिविधि की रिर्पोट भी स्कूली बच्चों हेतु निर्धारित रिर्पोटिंग प्रारूप पर महानिदेशालय को उपलब्ध कराई जाये।

5.नेत्रदान/नेत्रबैंको हेतु रिकरिंग ग्रान्टएफ0एम0आर0 कोड (एच–1.5) जिन जनपदो मे नेत्र बैंक पंजीकृत है, उनके लिए ही लक्ष्य निर्धारित किये गये है। आई कलेक्शन हेतु नेत्र बैंक को रू0 2000/– प्रति जोड़ी जिसमें से नेत्रबैक द्वारा रू0 1000/– प्रति जोड़ी नेत्रदान केन्द्र को देय होगा। उक्त का भुगतान भी एम0ओ0यू0 तथा एम0आई0एस0 डाटा फीडिंग के उपरान्त ही देय होगा।

संयुक्त निदेशक (नेत्र उपचार)
चि0 एव स्व0 सेवाएँ उ0 प्र0
स्व0 भवन लखनऊ।

6. प्रचार–प्रसार एफ0एम0आर0 कोड (एच–1.7)

अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यक्रम के प्रचार–प्रसार हेतु एक वर्ष में तीन महत्वपूर्ण दिवस मनाये जाने हैं:–

1. नेत्रदान पखवाडा (दिनांक 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक)
2. विश्व दृष्टि दिवस(अक्टूबर माह के दूसरे बृहस्पतिवार को)
3. विश्व ग्लूकोमा डे (12 मार्च प्रति वर्ष)

- उक्त दिवसों को मनाये जाने हेतु तदृसमय भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर कार्यवाही सुनिश्चित कराई जायेंगी। उक्त हेतु भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि जनपद स्तर हेतु अनुमोदित नही की गई है,धनराशि प्राप्त होने की दशा में उपलब्ध कराई जायेगी।

7. प्रदेश के चिकित्सालयो में उपलब्ध नेत्र चिकित्सा के उपकरणों का रखरखाव एवं मरम्मत हेतु एफ0एम0आर0 कोड (एच–1.9)

- अंधता निवारण कार्यक्रम से संबंधित मोतियाबिन्द आपरेशनों में प्रयोग होने वाले उपकरणों को हर सम्भव कियाशील रखना सुनिश्चित किया जाना है।
- जिसके लिए मोतियाबिन्द आपरेशन हेतु आबंटित धनराशि के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा मात्र रू 10.00 लाख धनराशि उपलब्ध कराई गई है उक्त हेतु राज्य स्तर से उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 की कार्यवाही की जायेगी। अतः उक्त हेतु उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु प्रस्ताव निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।

8.प्रदेश के जनपदों मे 75विजन सेन्टर्स की स्थापना एफ0एम0आर0 कोड (एच–2.3)

- प्रदेश के अधिकांश प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों मे स्थापना के समय ही आवश्यक उपकरण प्रदान किये गये थे व इनके प्रतिस्थापन की कोई व्यवस्था नही थी। इनमे से कई केन्द्रों पर उपकरण बहुत पुराने हो गये है जिनके प्रतिस्थापन की कार्यवाही इस मद से की जानी है।
- प्राथमिक नेत्रउपचार को प्राथमिकता देते हुए विज़न सेन्टर हेतु धनराशि प्राप्त होते ही जिन प्रा0स्वा0केन्द्रों पर आप्टोमेट्रिस्ट उपलब्ध हो तुरन्त उपकरण क्रय कर विजन सेन्टरों की स्थापना की जाये तथा नेत्र परीक्षण अधिकारी के अलग से बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायें।
- प्रदेश में इस वर्ष 75 विजन सेन्टरों की स्थापना हेतु अनुमति प्राप्त हुई हैं। जनपदों मे चयनित प्रा0/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अथवा स्वैच्छिक संस्था के विजन सेन्टर का चिन्हिकरण कर आवश्यकतानुसार स्थापित करने के लिए जनपद को अधिकृत किया जाता हैं।
- उपकरणों को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रति केन्द्र रू0 1,00,000/– की व्यवस्था की गयी है, जिसमें से भारत सरकार की गाईड लाईन्स के अनुसार किट क्रय की जानी है।
- उपरोक्त सामग्री का क्रय विभागीय रेट कॉन्टेक्ट एवं शासन द्वारा अनुमोदित स्टोर पर्चेज रूल्स के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जाय।

संयुक्त निदेशक (नेत्र उपचार)
चि0 एवं स्वा0 सेवा एँ उ0 प्र0
स्वा0 भवन लखनऊ।

9. **<u>जनपद आगरा में 1 आई कलेक्शन सेन्टर रू0 1.00 लाख से स्थापित किया जानाएफ0एम0आर0 कोड (H.2.5)</u>** भारत सरकार द्वारा जनपद आगरा में मांग के अनुसार एक आई कलेक्शन सेन्टर रू0 1.00 लाख की धनराशि से स्थापित किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। अतः भारत सरकार की गाईड लाईन का पूर्णतः पालन करते हुए नियमानुसार आई कलेक्शन सेन्टर स्थापित किया जाना है।

10. **<u>एफ0एम0आर0 कोड</u>** (H.3.1) प्रदेश के चुने हुए 28 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में प्रति जनपद 1 नेत्रशल्यक की संविदा पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त टी0ओ0आर0 के अनुसार रू0 60.00 हजार प्रति माह की दर पर नियुक्ति करना।

11. **<u>एफ0एम0आर0 कोड</u>** (H.3.2) प्रदेश के चुने हुए 28 जनपदों के जिला चिकित्सालयों में प्रति जनपद 1 आप्टोमेट्रिस्ट की संविदा पर भारत सरकार द्वारा प्रदत्त टी0ओ0आर0 के अनुसार रू0 12.00 हजार प्रति माह की दर पर नियुक्ति करना।

12. **<u>एफ0एम0आर0 कोड</u>** (H.3.3)प्रदेश के पंजीकृत राजकीय क्षेत्र के आई बैंको में एक आई डोनेशन काउन्सलर(ग्रीफ काउन्सलर)के लिए रू0 15000.00 प्रति माह की दर पर 3 माह हेतु धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

13. **<u>एफ0एम0आर0 कोड</u>**(H.3.4)प्रदेश के सभी 75 जनपदों में एक डाटा इन्ट्री आपरेटर के लिए 3 माह हेतु निर्धारित दर रू0 8000.00 प्रति माह पर धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

सामान्य निर्देशः—इस कार्यक्रम में प्राप्त होने वाली ग्रान्ट का व्यय निम्नानुसार मदों में किया जाना हैः—

- <u>मोतियाबिन्द आपरेशन में आबंटित धनराशि का प्रयोगः—</u> कल्ज्यूमेबिल्स, माईनर उपकरण / औज़ार का कय (भारत सरकार की अनुमोदित सूची के अनुसार), पी0ओ0एल0, गाड़ियों का रखरखाव कल पुर्जे, किराये के वाहनो, ग्राम अंधता रजिस्ट्री, नेत्रबैकों तथा आई डोनेशन सेन्टरों द्वारा एकत्र की जाने वाले नेत्रों हेतु आवर्ती सहायता, प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय इस कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित गाइड लाइन जो **www.npcb.inc.in and mohfw.nic.in** के अनुसार देय होगें।
- राज्य कार्यक्रम अधिकारी अंधता नियंत्रण का ईमेल आई डी. sponpcblko@rediffmail.comफोन न0 0522 2628937 एवं मो0 9415012481 पर संम्पर्क करें।
- नेत्रबैंको को केवल राजकीय मेडिकल कालेजों एवं सरकारी चिकित्सालयों में ही स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाये तथा उनका नाम एवं पता भारत सरकार को उपलब्ध कराया जाये।

संयुक्त (नेत्र उपचार)
चि0 एवं स्वा0 सेवाएँ उ0 प्र0
स्वा0 भवन लखनऊ।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0 / एन0एच0एम0 / NPCB / 01 / 2014–15 / 4188 दिनांक: 20/12/2014

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु जनपदवार, गतिविधिवार अवमुक्त धनराशि एवं तद्सम्बन्धी दिशा–निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदया / महोदय,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आर0ओ0पी0 2014–15 के एफ0एम0आर0 कोड सं0–एच में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत रू0 3820.00 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है।

2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ0प्र0 के प्रस्तावानुसार जनपदों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उपलब्ध शेष अनकमिटेड अनस्पेन्ड धनराशि को समायोजित करते हुये राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 की स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रू0 2281.44 लाख की धनराशि जिलों की जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में निम्न तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है–

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Name of Districts	Uncommitted Unspent	Proposed amount to be released	Total amount to be released
1	2	a	b	c=b-a
1	Agra	4508591	7392806	2884215
2	Firozabad	0	3661398	3661398
3	Mainpuri	647981	1394357	746376
4	Mathura	1070043	3505411	2435368
5	Aligarh	3715027	10667195	6952168
6	Kashganj	1838785	1113009	0.00
7	Etah	1095351	2466931	1371580
8	Hathras(M.M.Nagar)	0	2206831	2206831
9	Azamgarh	0	4897260	4897260
10	Ballia	836747	4412292	3575545
11	Mau	1293034	3057560	1764526
12	Allahabad	2658956	15608326	12949370
13	Pratapgarh	0	4345819	4345819
14	Fatehpur	1022080	3626199	2604119
15	Kaushambi	0	2248224	2248224
16	Bareilly	2956160	9274974	6318814
17	Badaun	1601947	5062835	3460888
18	Pilibhit	3231422	2834035	0.00

19	Shahjahanpur	2145770	4117751	1971981
20	Banda	1064730	1361504	296774
21	Chitrakut	1344929	805337	0.00
22	Hamirpur	360000	883168	523168
23	Mahoba	870110	1289533	419423
24	Gonda	1675299	4904604	3229305
25	Bahraich	2024737	4967025	2942288
26	Shravasti	543313	1606746	1063433
27	Balrampur	1319972	2982803	1662831
28	Barabanki	0	4673932	4673932
29	Faizabad	201675	3623492	3421817
30	Ambedkar Nagar	1139517	1989405	849888
31	Sultanpur	1508352	3387416	1879064
32	Amethi	2297512	2119428	0.00
33	Basti	1497589	5597936	4100347
34	Siddharthnagar	1869685	3520937	1651252
35	Sant Kabir Nagr	92751	2404609	2311858
36	Deoria	0	4391061	4391061
37	Kushinagar	1845586	4860810	3015224
38	Gorakhpur	3388233	10259017	6870784
39	Maharajganj	1216025	2635955	1419930
40	Jalaun	0.00	2562534	2562534
41	Jhansi	0.00	5270096	5270096
42	Lalitpur	0.00	1960040	1960040
43	Etawah	1665324	2440590	775266
44	Farrukhabad	0.00	2851005	2851005
45	Kanpur(Urban)	0.00	12539481	12539481
46	Kanpur(Dehat)	0.00	2511984	2511984
47	Kannuaj	0.00	2545461	2545461
48	Auraiya	50613	1949631	1899018
49	Hardoi	0.00	5782822	5782822
50	Kheri	2168883	5679303	3510420
51	Lucknow	12373304	8511392	0.00
52	Raibareilly	1628281	4868324	3240043
53	Sitapur	122706	5605217	5482511
54	Unnao	1258561	4262077	3003516
55	Bulandshahar	1107912	4777849	3669937
56	Gautambudh Nagar	0.00	4433010	4433010
57	Ghaziabad	3617804	8305984	4688180
58	Hapur	40805	1760312	1719507
59	Meerut	4770939	11929279	7158340

60	Bagpath	1606738	1856233	249495
61	Muzaffar Nagar	0.00	3993048	3993048
62	Shamli	839371	1760312	920941
63	Saharanpur	1672427	4732405	3059978
64	Mirzapur	0.00	3658599	3658599
65	Sonbhadra	988715	2601621	1612906
66	Sant Ravi das Nagar	0.00	2191501	2191501
67	Bijnore	0.00	5070087	5070087
68	Moradabad	3827272	9221152	5393880
69	Sambhal	1281783	1760312	478529
70	Rampur	1433884	3615135	2181251
71	Amroha	543181	2185942	1642761
72	Ghazipur	2611802	2615299	3497
73	Varanasi	3516174	10534975	7018801
74	Jaunpur	2418842	6078348	3659506
75	Chandauli	48731	2337710	2288979
Total		**102475961**	**324917000**	**228143790**

3. विस्तृत जनपदवार, गतिविधिवार फांट पत्र के साथ संलग्न है। अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

4. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यकम/मद में धनराशि अवमुक्त की गई है उसी कार्यकम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

5. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यकम की धनराशि दूसरे कार्यकमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।

6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैश बुक, बैंक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।

7. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।

8. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।

9. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।

10. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

11. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

12. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

13. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के कियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश संयुक्त निदेशक (नेत्र रोग)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा पृथक से जनपदों को निर्गत किया जायेगा। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

10/12/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

पत्र सं0: एस0पी0एम0यू0/एन0एच0एम0/NPCB/01/2014–15/4188–9 तद्दिनांक 20/12/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. निदेशक, राष्ट्रीय कार्य्रकम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य सोसायटी, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त निदेशक (नेत्र)/राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ की कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
8. महाप्रबन्धक, एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
9. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

10/12/14

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक